कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in

क्रमांक / GENS-11/5123/2026/MUY नवा रायपुर दिनांक / /

प्रति,

कलेक्टर,

जिला .... (छ0ग0)

विषय :– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत वर्ष 2026–27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन संबंधी संशोधित दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– 1. छ.ग. शासन, आदिम जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक GENS-21/803/2026-Tribal Section दिनांक 29.04.2026

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / GENS-11/5123/2026/I/438531/2026 दिनांक 27.05.2026

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–2 द्वारा वर्ष 2026–27 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश की कार्यवाही स्थगित की गई थी। पुनः लिये गये निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत वर्ष 2026–27 में कक्षा 6वीं में प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश परीक्षा अत्यंत उच्च गुणवत्ता और पेशेवर पर्यवेक्षण के साथ आयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः विगत वर्षों की भांति वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत योजना का प्रचार–प्रसार करने तथा परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जा रहे है :–

1. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना की कंडिका 11 अनुसार कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु **दिनांक 05.07.2026 (दिन रविवार) को समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक** लिखित परीक्षा आयोजित किया जावे।
2. **प्रचार–प्रसारः–** जिला स्तरीय समाचार–पत्रो में योजना एवं चयन परीक्षा की तिथि सहित पूर्ण विवरण के साथ आवेदन आंमत्रण संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कराया जावें। योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार प्राचार्यो एवं प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला / माध्यमिक शाला की बैठक लेकर तथा छात्रों / पालकों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए किया जावे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर सके तथा योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
3. **विशेष पिछडी जनजातियों हेतु आरक्षणः–** वर्ष 2026–27 में पहली बार इस योजनांतर्गत छ.ग. राज्य के प्रत्येक विशेष पिछडी जनजातियों (बैगा, अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा) के लिए 2 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। अतः इसका विशेष रूप से प्रचार–प्रसार किया जाये तथा इन वर्गों से शत प्रतिशत विद्यार्थियों का आवेदन भरवाया जाये।
4. **अभिलेखों के परीक्षण के संबंध मेंः–** राज्य अंतर्गत छात्र / छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण–पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित है। पूर्व वर्षो में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय जिलो में अन्य जिलो के मूल निवास वाले विद्यार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार कर परीक्षा ली गई है तथा उनका मेरिट सूची में नाम सम्मिलित कर भेजा गया था। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित जिले के मूल निवासी आवेदक से ही आवेदन स्वीकार करें। तथापि त्रुटिवश / भूलवश प्राप्त अन्य जिला के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल निवास वाले जिलो को तत्काल भेजा जावें, ताकि वे विद्यार्थी भी इस योजना से वंचित न रहे। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रयास करना एवं इस प्रकार प्रवेश प्राप्त करने पर भी ज्ञात होने पर शाला प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी एवं उसके पालकों की होगी।

5. **विद्यार्थियों के लिए आवेदन पत्रों की जिला स्तर पर व्यवस्थाः–** आवेदन पत्र को पर्याप्त मात्रा में मुद्रित कराकर शालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जावे साथ ही नियम की कंडिका–4 अनुसार पात्रता की सूचना भी दी जावे।
6. **आयुक्त कार्यालय से प्रश्न पत्रों का वितरण व्यवस्थाः–** प्रश्न पत्रों का सील बंद लिफाफा **दिनांक 03.07.2026 (दिन शुक्रवार)** को कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर से वितरण किया जाएगा। अतः इस हेतु किसी जिम्मेदार अधिकारी को अधिकृत करते हुए बड़ा थैला/बॉक्स ताला सहित तथा सीलबंद करने हेतु चपड़ा इत्यादि सामग्री के साथ भेजा जाए। सहायक आयुक्त द्वारा सही स्थिति में सील्ड सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा सील्ड प्रश्न पत्र निकटतम थाना/कोषालय की अभिरक्षा में रखें।
7. **जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों का वितरण :–**सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विकासखण्ड स्तर के केन्द्राध्यक्ष को उनके केन्द्र पर परीक्षार्थियों के संख्या के आधार पर **सील बंद प्रश्न पत्रों का वितरण दिनांक 04.07.2026 दिन शनिवार** को करेंगे तथा केन्द्राध्यक्ष द्वारा निकटस्थ थाना/कोषालय में प्रश्न–पत्र जमा कराया जायेगा एवं परीक्षा दिनांक को केन्द्राध्यक्ष द्वारा थाना/कोषालय से प्रश्न पत्र लाया जायेगा।
8. **परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न–पत्र के लिफाफा को खोला जानाः–** परीक्षा दिनांक 05.07.2026 को केन्द्राध्यक्ष द्वारा दो शिक्षक एवं एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा प्रारंभ समय से **20 मिनट** पूर्व बंद लिफाफा खोला जाकर, हस्ताक्षरयुक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जावेगा तथा परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षकों को उनके ड्यूटी कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या अनुसार प्रश्न पत्र जारी किया जायेगा।
9. **परीक्षा के संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर निगरानी हेतु समिति का गठनः–** परीक्षा संचालन, मुल्यांकन, दावा आपत्ति, काउंसिलिंग एवं अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए प्रत्येक स्तर के लिए जिला कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी तथा परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति जिला कलेक्टर के अनुमोदन से की जायेगी।
10. **मेरिट सूचीः– आपके जिले में कुल स्वीकृत सीट से तीन गुना नामों की वर्गवार मेरिट सूची तैयार कर भेजी जावे। मेरिट सूची में शामिल प्रत्येक समूह के PVTG का उल्लेख किया जावें।**
11. **कक्ष पर्यवेक्षकों के लिए निर्देशः–** बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका पर ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के नाम एवं पदनाम, हस्ताक्षर, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जावे। पर्यवेक्षक एवं प्रश्न–पत्रों के जांचकर्ता पृथक – पृथक रखे जाकर जांचकर्ता के हस्ताक्षर सहित नाम एवं पदनाम तथा पदस्थापना स्थान एवं मोबाईल नंबर का प्रत्येक पुस्तिका में स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
12. **परीक्षा केन्द्र पर व्यवस्थाः–** परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जावे। परीक्षा आयोजन स्थल पर पेयजल, रोशनी, पंखा/कूलर एवं पृथक–पृथक बालक–बालिका शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।
13. **अभिलेखों के संबंध मेंः–** कंडिका 4 अनुसार पिता/पालक की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक न हो, का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र, संस्था से ग्रामीण अंचल में होने का प्रमाण संबंधित जानकारी, जाति प्रमाण, अंकसूची में प्राप्तांक संबंधी जानकारी, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा किंतु यदि आवेदन के परीक्षण में पाया जाता है कि विद्यार्थी पात्र है किंतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाया है तो उसका विवरण रखा जाये किंतु परीक्षा में बैठने से वंचित न किया जाये। परीक्षा उपरांत कांउसलिंग के समय अनिवार्य रूप से योजना नियम के पात्रता अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन होने पर भी प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अतः विद्यार्थी एवं पालक पूर्व से सुनिश्चित कर लेवे कि उनका पाल्य योजना नियम के अंतर्गत परीक्षा में बैठने की पात्रता रखता है।

14. **अनुशासनः–** परीक्षा केन्द्र पर अनुशासन एवं पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ बोर्ड परीक्षा के अनुरूप संचालन के नियमों का पालन करते हुये परीक्षा का संचालन करने की जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्ष की होगी।

15. **परीक्षा उपरांत की गई जाने वाली कार्यवाहीः–** जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन तथा परीक्षा उपरांत भरे हुये उत्तरपुस्तिकाओं को तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति एंव अनुपस्थिति का प्रमाणित विवरण के साथ सीलबंद लिफाफे में केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिनांक 05.07.2026 को शाम तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजा जायेगा तथा सुरक्षित थाने में रखा जायेगा। शेष बची हुई/अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकाओं को पृथक सीलबंद लिफाफे में उसके विवरण के साथ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को दिनांक 05.07.2026 दिन रविवार को भेजा जायेगा।

16. **जिला स्तर पर मूल्यांकनः–** चेक लिस्ट अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दिनांक 06.07.2026 दिन सोमवार को जिला कलेक्टर के विशेष निगरानी टीम के मार्गदर्शन में करवाया जायेगा तथा परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा। मूल्यांकन कार्य में परीक्षा केन्द्र के पर्यवेक्षकों एवं ऐसे शिक्षक जिनके पाल्य इस परीक्षा में शामिल हुए हो, को शामिल न किया जायें।

17. **दावा आपत्तिः–** चेक लिस्ट अनुसार परीक्षा परिणाम जारी करने के उपरांत दावा–अपत्ति प्राप्त कर तथा उसका निराकरण समय–सीमा में करते हुए अंतिम मेरिट दिनांक 11.07.2026 को जारी की जावेगी तथा राज्य मुख्यालय को **अंतिम मेरिट सूची निर्धारित प्रपत्र–"अ"** में प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण के साथ परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्रों के परीक्षा परिणामों की कक्षा–6वीं (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक–पृथक सूची) की पेन ड्राईव (सॉफ्ट–कॉपी) एवं हार्ड कॉपी सहित बंद लिफाफे में हस्ताक्षर सहित विशेष वाहक के हस्ते **दिनांक 12.07.2026 (दिन बुधवार)** तक अनिवार्यतः मुख्यालय में पदस्थ **योजना प्रभारी अधिकारी** को देवें।

18. **काउंसिलिंगः–** जिला स्तर काउंसिलिंग समिति गठित कर काउंसिलिंग दिनांक 14.07.2026 को आयोजित किया जाये तथा काउंसिलिंग में विद्यार्थियों से संबंधित समस्त अभिलेखों का सुक्ष्मता परीक्षण किया जाये। विशेष रूप से जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र, स्व घोषण पत्र को सावधानी से देखा जायें। अन्यथ गलत प्रमाण–पत्र को मान्य करने के कारण संबंधितों पर कानूनी कार्यवाही होगी तथा त्रुटिपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत कर विद्यार्थी को प्रवेश कराया जाना पाया जाता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए छात्र की समस्त शुल्क की वसूली की जावेंगी। **काउंसिलिंग पश्चात् दिनांक 15.07.2025 को** अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गवार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी राज्य मुख्यालय को भेजना (जिले में स्वीकृत सीट संख्या के 03 गुना नामों की मेरिट सूची) पेन ड्राईव (सॉफ्ट–कॉपी) एवं हार्ड कॉपी सहित बंद लिफाफे में हस्ताक्षर सहित विशेष वाहक के हस्ते उपलब्ध करावें।

19. **मेरिट लिस्ट तैयार जाना**:– निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये गये मेरिट लिस्ट ही मान्य होगी। त्रूटिपूर्ण या प्रपत्र से विसंगति होने पर मेरिट लिस्ट मान्य नहीं की जायेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक–पृथक कक्षावार सूची तैयार कर भेजी जावे।

20. **परीक्षा का नियमांतर्गत संचालन न करने पर कार्यवाहीः—** निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दिए जाने तथा परीक्षा कार्य में गोपनीयता भंग करने, मूल्यांकनकर्ताओं पर अनावश्यक दवाब डालने आदि प्रकार के अनियमित्ता/कदाचार पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा एवं विभिन्न स्तर पर कार्य विभाजन एवं जिम्मेदारी देने हेतु कृपया जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाए। साथ ही प्रवेश परीक्षा हेतु अत्यंत उच्च गुणवत्ता और पेशेवर पर्यवेक्षक का चयन किया जाये। परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पृथक–पृथक शिक्षक रखे जाए। परीक्षा केन्द्रों पर कड़ाई से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही कराया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी जाए। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निष्पक्ष व शत प्रतिशत निष्ठा द्वारा मूल्यांकन किया गया है यह सुनिश्चित कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए।

कृपया स्वच्छ पारदर्शी तथा नियमों का कडाई से पालन कराते हुए परीक्षा सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
DHARMULA RAHUL VENKAT
Date: 05-06-2026 16:58:29

(डी राहुल वेंकट)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/ GENS-11/5123/2026/MUY **नवा रायपुर दिनांक / /**
प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर योजना क्रियान्वय के संबंध में बैठक दिनांक 03.06.2026 के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. **सहायक आयुक्त**, आदिवासी विकास, जिला – .... को निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाए। साथ ही अत्यंत उच्च गुणवत्ता और पेशेवर पर्यवेक्षक का चयन किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी के साथ एक बैठक कर योजना का प्रचार–प्रसार तथा प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु शालाओं को परीक्षा केन्द्र के रूप में निर्धारण करने की कार्य योजना बना ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

—सही—
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा संबंधी नियम–निर्देश शिक्षण सत्र 2026–27

1. उद्देश्य :– योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है। योजनांतर्गत शाला का संपूर्ण शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।

2. छात्रों के चयन का मापदण्ड/पात्रता शर्तें :–

1. विद्यार्थी छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कक्षा 4थीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।
4. पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण–पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
5. योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

3. योजनान्तर्गत सीट का निर्धारण :–

1. कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित है। सूची परिशिष्ट–1 में है।
2. प्रत्येक विशेष पिछडी जनजाति (PVTG) हेतु 2 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। (छ.ग. राज्य हेतु बैगा, अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा विशेष पिछडी जनजाति है)
3. उपर्युक्त सीट संख्या का आशय यह नहीं कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि अंतर्गत किया जा सकेगा।
4. राज्य अंतर्गत छात्र/छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण–पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किये गये आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।

4. प्रवेश परीक्षा का पैटर्न :– कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु –

1. कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 20–20 अंक के प्रश्न रहेंगे। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा।
2. प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका एक है। अतः छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर भरकर/अंकित कर उत्तर पुस्तिका कक्ष पर्यवेक्षक को वापस करेंगे।

5. आवेदन कैसे भरें :–

निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का अग्रेषण शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता यथा शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्ते पूर्ण करता है। किसी अभिलेख के कमी के कारण विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से वंछित नहीं किया जायेगा किंतु कांउसलिंग के समय पात्रता से संबंधित मान्य समस्त अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. **आवेदन की अंतिम तिथिः–**

समस्त विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र विद्यालय में **दिनांक 15.06.2026 (दिन सोमवार) को संध्या 5.00 बजे तक** जमा किये जा सकेंगे।

2. **प्रचार–प्रसार एवं हेल्पडेस्क** :–

पालकों एवं विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने में प्रधान पाठक/शिक्षकगण संवेदनशीलता से सहयोग करें। प्रतिभावान विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में तथा विकासखंड स्तर, जिला स्तर पर बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा विद्यार्थियों एवं पालकों के समस्याओं के निराकरण हेतु **हेल्पडेस्क ब**नाया जायेगा। परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी लिखने हेतु 'राईटिंग पैड' साथ में अवश्य लावें।

3. **चेक लिस्टः–**

प्रवेश संबंधी चेक लिस्ट का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2026–27 हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा संबंधी चेक लिस्ट		
कं	**कार्यक्रम विवरण**	**तिथि**
1	विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की अंतिम तिथि	20.06.2026 (दिन शनिवार)
2	शाला प्रमुख/प्रधानपाठक द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का परीक्षण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषण	22.06.2026 (दिन सोमवार)
3	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करना	24.06.2026 (दिन बुधवार)
4	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदनों की संख्या जिलावार विकास खण्डवार का प्रेषण E-mail द्वारा	25.06.2026 (दिन गुरूवार)
5	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों/ वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थी तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करना एवं परीक्षा केन्द्रवार विद्यार्थियों की संख्या, केन्द्राध्यक्ष का नाम/पद/मोबाईल नंबर आदि की जानकारी भेजना।	25.06.2026 (दिन गुरूवार)
6	राज्य मुख्यालय स्तर पर सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जायेगा तथा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु निकटस्थ थाने में रखा जाये)	**03.07.2026 (दिन शुक्रवार)** (कार्या. आयुक्त, आजजा तथा अजा विकास, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर से प्राप्त करेंगे।)
7	जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन तथा परीक्षा उपरांत भरे हुये उत्तरपुस्तिकाओं को तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति एंव अनुपस्थिति का प्रमाणित विवरण के साथ सीलबंद लिफाफे में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजा जाना तथा सुरक्षित थाने में रखा जाना। शेष बची हुई/अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकाओं को पृथक सीलबंद लिफाफे में उसकी विवरण के साथ भेजा जाना।	05.07.2026 (दिन रविवार), दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक
8	जिला स्तर पर कुशल एवं निष्पक्ष मूल्यांकनकर्ताओं की टीम बनाकर तथा मूल्यांकन पर्यवेक्षकों की नियुक्त कर उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना एवं परीक्षा परिणाम जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जारी कर समाचार पत्रों/सोशल मीडिया एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु सूचना जारी करना	06.07.2026 (दिन सोमवार)
9	विद्यार्थियों/अभिभावकों द्वारा जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में दावा आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	09.07.2026 (दिन गुरुवार)
10	प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा गठित सक्षम स्तर की समिति द्वारा किये जाने की अंतिम तिथि	10.07.2026 (दिन शुक्रवार)
11	दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् अंतिम जिला स्तरीय अंतिम मेरिट सूची तैयार करना (अनु.जाति एवं जनजाति वार पृथक–पृथक निर्धारित प्रपत्र में) एवं सभी विद्यार्थियों/अभिभावकों को मोबाईल पर सूचना देना तथा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना एवं काउसिलिंग तिथि की सूचना जारी करना	11.07.2026 (दिन शनिवार)
12	जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा काउंसिलिंग करने की तिथि	14.07.2026 (दिन मंगलवार)
13	जिला स्तर काउंसिलिंग पश्चात् अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गवार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी राज्य मुख्यालय को भेजना(जिले में स्वीकृत सीट संख्या के 03 गुना नामों की मेरिट सूची)	15.07.2026 (दिन बुधवार)

विस्तृत विवरण :—योजना के संबंध में विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट **www.tribal.cg.gov.in** पर उपलब्ध है।

Digitally signed by
DHARMULA RAHUL VENKAT
Date: 05-06-2026 16:50 **आयुक्त**
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थीउत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु (वर्ष 2026—27)आवेदन—पत्र

आवेदन की अन्तिम तिथि :—20.06.2026 दिन शनिवार

परीक्षा की तिथि :— 05.07.2026 दिन रविवार

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहॉं वह कक्षा 5 वीं में पढ़ा हो) के प्रधानाचार्य से सत्यापित हो

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

रोलनंबर | | | | | | :—

परीक्षा केन्द्र का नाम— : ....

जिले का नाम— : ....परीक्षा का माध्यम ....

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ....
   अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में) : ....
3. पिता का नाम : ....
4. माता का नाम : ....
5. जाति (अ.ज.जा / अ.जा /) : ....
6. क्या आप विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग (PVTG) में अधिसूचित है। ....

(सक्षम अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र सलग्न किया जाए.साथ ही PVTGका स्पष्ट उल्लेख किया जाये)

7. पत्र व्यवहार का पता : ....
   : ....
8. मोबाईल न : | | | | | | | | | | |
9. जन्म तिथि (अंकों में) तिथि | | | माह | | | वर्ष | | | | |
10. जन्म तिथि (शब्दो में) :..
11. उचित बाक्स में सही (✓)का निशान लगायें (अ) लिंगः— पुरूष ☐ महिला ☐ अन्य ☐
12. कक्षा चौथी का प्राप्तांक : कुल पूर्णांक.................कुल प्राप्तांक............ प्रतिशत............ग्रेड............
13. कक्षा पांचवी का प्राप्तांक : कुल पूर्णांक.................कुल प्राप्तांक............ प्रतिशत............ग्रेड............
14. पालक की आय (स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाए) ....
15. विद्यालय किस निकाय के अंतर्गत आता है : ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / जनपद पंचायत...............
16. स्वास्थ्य :— क्या आप सिकलसेल या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके लिए निरंतर ईलाज की आवश्यकता होती है तो विवरण देवे ....

आवेदक / पालक का हस्ताक्षर दिनांक सहित

शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी श्री / कु. .... पिता .... निवासी. ....ग्राम...................... वि.ख.............. जिला........... विद्यालय.................................. में वर्ष................ में कक्षा .... में अध्ययनरत है विद्यार्थी द्वारा आवेदन में दिये गये विवरण का मैंने अभिलेखों से परीक्षण कर लिया है एवं विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखता है।

शाला प्रमुख का हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित

टीपः कक्षा पांचवी में अध्ययनरत केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र / छात्राएं ही आवेदन करें।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

वर्ष 2026–27

आय हेतु स्वघोषणा पत्र

(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

मैं पालक श्री/श्रीमती.. पिता .... अपने पाल्य (विद्यार्थी) श्री/कु .... उम्र (विद्यार्थी) .... निवासी ग्राम/वार्ड........................ग्राम पंचायत/नगर पंचायत .... वि.खं. ...., जिला .... यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं –

1. मेरा पुत्र/पुत्री ने वर्ष 2026–27 में **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत** प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य के जिला.............................. का मूल निवासी हूं।
4. अभिभावक/पालक के आय (रूपये में) का विवरण निम्नानुसार है:–

पिता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय	....
पिता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय	....
माता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय	....
माता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय	....
पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय	....
परिवार के कृषि से आय	....
अभिभावक/पालक के कुल आय	....

5. मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय .... है।

उपरोक्त कंडिका 1 से 5 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

पालक का हस्ताक्षर नाम सहित

पालक द्वारा घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया है।

(शाला प्रमुख)

(हस्ताक्षर सील सहित)

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना)योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का पावती

वर्ष 2026–27

पावती

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहॉ वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा है/रहीहै) के प्रधानाचार्य से सत्यापित हो

श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना)अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में................................ जिला ....(छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

टीप :– विद्यार्थी को आबंटित परीक्षा केंन्द्र एवं रोल नंबर की जानकारी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या शाला से परीक्षा दिनांक से एक सप्ताह से पूर्व प्राप्त करें। जिन्हे प्रवेश पत्र ना मिला हो वे इस पावती के आधार पर परीक्षा में शामिल हो सकते है। परीक्षा दिनांक 05.07.2026 को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक संबंधित केन्द्र में होगी।

प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

आवेदन पत्र पावती (कार्यालयीन प्रति)

श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में................................ जिला .... (छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

परिशिष्ट–1

वर्ष 2026–27 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) योजना अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या

क्र.	जिला	अनुसूचित जनजाति की निर्धारित सीट संख्या	अनुसूचित जाति की निर्धारित सीट संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1.	सरगुजा	10	1
2.	बलरामपुर	5	1
3.	सूरजपुर	5	1
4.	जशपुर	9	2
5.	कोरिया	5	1
6.	बिलासपुर	3	4
7.	मुंगेली	1	3
8.	कोरबा	8	3
9.	जांजगीर–चांपा	2	5
10.	रायगढ़	9	4
11.	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	5	2
12.	राजनांदगांव	5	4
13.	दुर्ग	2	4
14.	बेमेतरा	1	4
15.	बालोद	5	2
16.	कवर्धा	3	3
17.	रायपुर	2	5
18.	बलौदाबाजार	1	4
19.	गरियाबंद	5	2
20.	महासमुंद	2	4
21.	धमतरी	3	3
22.	जगदलपुर	9	2
23.	कोण्डागांव	5	1
24.	कांकेर	7	1
25.	दंतेवाड़ा	5	1
26.	सुकमा	4	1
27.	नारायणपुर	4	1
28.	बीजापुर	5	1
योग		**130**	**70**

टीपः– **1.** शासन के पत्र क्र/GENS-21/803/2026-Tribal Section दिनांक 29.04.2026 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार छ.ग. के प्रत्येक विशेष पिछड़ी जनजातियों **(बैगा, अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा)** के लिए **2% सीट आरक्षित किया गया है।**

2. **नव निर्मित जिलें के विद्यार्थी अपने मूल जिलें से आवेदन करेंगे।**

–सही–
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–अ

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2026–27 में कक्षा 6वीं में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की मेरिट सूची

जिला– .... वर्ग:– ....

क्र.	रोल नंबर	छात्र/ छात्रा का नाम	पिता/ अभिभावक का नाम	संबंधित जिला	छ0ग0 का मूल निवासी है/ नहीं	जाति/ वर्ग (अभिभावक का सक्षम प्रधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र हो)	पीव्हीटीजी वर्ग के नाम का उल्लेख करे, यदि हो तो	कक्षा 4थी में प्राप्तांक का प्रतिशत/ ग्रेड	कक्षा 5वीं उत्तीर्ण संस्था का नाम एवं विकास खण्ड	पालक की सहमति (छात्र के पिता से सहमति ले ली गई है तो सहमत टीप अंकित करें)	पालक की सभी स्त्रोंतो से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो, आय का उल्लेख करे (जिसमें कृषि/व्यवसाय/नौकरी दर्शित हो)	छात्र कक्षा 5वीं की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा नगर पंचायत क्षेत्र की शाला से उत्तीर्ण किया है, उस शाला का नाम	चयन परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक एवं प्रतिशत			मोबाईल नबंर	रिमार्क
													पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत		
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	

टीप :– 1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गवार पृथक–पृथक उक्त प्रपत्र के अनुसार जानकारी भेजे।
2. कॉलम क–08 में यदि छात्र विशेष पिछडी जनजाति (आबुझमाडिया, बिरहोर, कमार, बैगा, पहाडी कोरवा) अंतर्गत आता है तो किसी एक का उल्लेख करें। यदि है तो।
3. उक्त मेरिट सूची में जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति के सदस्यों का प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए।